"राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति" कार्यशाला

(कार्यशाला रिपोर्ट)

दिनांक : 18–19 जनवरी, 2011

स्थान :नेहरु स्मारक एवं पुस्तकालय, तीन मूर्ति, नई दिल्ली–110001

: प्रस्तुतकर्ता :

बंधुआ मुक्ति मोर्चा

7, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली–110001

फोन नम्बर : 011–23367943, फेक्स नम्बर : 011–23367943

ईमेल : agnivesh70@gmail.com वेबसाइट : swamiagnivesh.com

दो दिवसीय "राष्ट्रीय न्यूनतम् मजदूरी नीति" कार्यशाला का विवरण

न्यूनतम् मजदूरी वह मजदूरी है जिससे भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति को दिन भर मेहनत करने के पश्चात् मेहनताने के रूप में उतनी राशि तो प्राप्त होनी चाहिए जिससे उस मेहनतकश व्यक्ति के परिवार का गुजारा चल सके अर्थात् उसके परिवार की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से की जा सके।

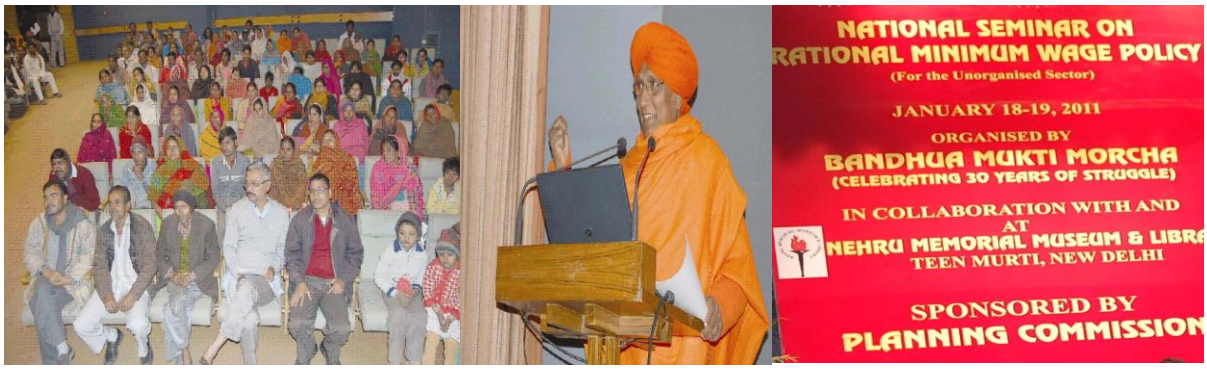

"कार्यशाला में प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए स्वामी अग्निवेश–अध्यक्ष, बंधुआ मुक्ति मोर्चा"

आजादी के बाद 1948 में देश में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी तय करने के संबंध में सरकार द्वारा सोचा गया तथा मजदूरों के हित में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 सर्वसम्मति से पारित किया गया। समय की गतिशीलता के साथ–साथ न्यूनतम मजद्री अधिनियम में कुछ अल्पमात्र संशोधन भी हुए थे। इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र सरकार यह निर्धारित करती है कि किस–किस प्रकार के नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करनी है, तत्पश्चात् इन नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है।

इस अधिनियम के बन जाने से जहां एक तरफ संगठित क्षेत्रों या कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को कुछ सहारा जरूर मिला, वहीं दूसरी तरफ असंगठित और दिहाड़ी के तौर पर काम करने वाले कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। असंगठित क्षत्र में अस्थाई रूप से कार्यरत् मजदूर आज भी न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। किन्तु सरकार का न्यूनतम मजदूरी पर बने कानून की ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है।

भारत का न्यूनतम मजदूरी कानून–1948, संविधान के अनुच्छेद–43 के आधार पर बना है। संविधान में उल्लिखित है कि सरकार देश के समस्त मजदूरों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिये न्यूनतम् मजदूरी की दर तय करेगी। न्यूनतम मजदूरी कानून भी ऐसी मजदूरी तय करने की बात करता है जिससे स्वयं मजदूर और मजदूर का परिवार दो जून पेट भर के खाना खा सके किन्तु कानून के क्रियान्वयन में लचीलापन, असमानतापूर्वक किये जा रहे असंवैधानिक व्यवहार अर्थात् शोषण के कारण आज मजदूरों की हालत अत्यन्त दयनीय है।

कानून कहता है कि हर मजदूर को कम से कम इतनी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए जिससे परिवार के हर व्यक्ति को 2700 कैलोरी का भोजन, परिवार क लिये 72 गज कपड़ा और आवास की जरूरत पूरी हो सके। इतना ही नहीं रोशनी और खाना पकाने के लिये ईंधन की जरूरत पूरा करने के लिये भी न्यूनतम मजदूरी की 20 फीसदी राशि तय हो।

सन् 1991 में सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा गया था कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक समारोह आयोजित करने की क्षमता और वृद्धों की जरूरत को पूरा करने के लिये भी न्यूनतम मजदूरी में उसकी 25 फीसदी राशि और जोड़ी जाये।

पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के यथार्थ रूप में क्रियान्वयन के अभाव, **MNREGA** के अन्तर्गत मजदूरों के साथ सरकार द्वारा किये जा रहे असमानतामय व भेदभावपूर्ण व्यवहार, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी के संबंध में दोहरी नीति तथा सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के अधिकारों के प्रति लापरवाही बरतने एवं मजदूरों के सर्वांगोण विकास पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देने के कारण बंधुआ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश को अध्यक्षता में बंधुआ मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों एवं अन्य कई सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा ''राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति'' कार्यशाला आयोजित करवाने के संबंध में गहन चर्चा करके दिनांक 18–19 जनवरी, 2011 को दो दिवसीय ''राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति'' विषय पर राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया।

कार्यशाला का उद्देश्य समस्त असंगठित मजदूरों को उनके न्यूनतम मजदूरी के अधिकार को दिलवाने हेतू सर्वप्रथम वास्तविक एवं प्रायोगिक रूप से सही न्यूनतम मजदूरी तय करना एवं कार्यशाला के प्रतिभागियों से गहन चर्चा कर एक प्रस्ताव तैयार करते हुए न्यूनतम मजदूरी के अधिकार की लड़ाई के लिए आगामी व भावी कार्यक्रम तय करना था।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा योजना आयोग, भारत सरकार के उपाध्यक्ष–श्री मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीशों एवं वरिष्ठ वकोलों, स्वयं सेवी संगठनों के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं मुक्त बंधुआ मजदूरों की उपस्थिति में दिनांक 18–19 जनवरो, 2011 को स्वामी अग्निवेश द्वारा ''राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति'' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का सफलतापूर्वक संचालन किया गया जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है–

प्रथम दिन (18 जनवरी, 2011)

1 उद्घाटन समारोह : दो दिवसीय ''राष्ट्रीय न्यूनतम् मजदूरी नीति'' कार्यशाला का औपचारिक शुभारम्भ आदिवासी महिला कार्यकर्ता–श्रीमती नौरती बाई द्वारा किया गया। समारोह के प्रमुख अतिथि श्री हरीश रावत– श्रम राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्रीमती अरूणा रॉय, सदस्य–राष्ट्रीय सलाहकार समिति, श्री हर्ष मन्दर, सदस्य–राष्ट्रीय सलाहकार समिति,

''कार्यशाला में स्वागत व परिचय करते स्वामी अग्निवेश तथा मंचासीन अतिथिगण एवं प्रतिभागीगण।''

स्वामी अग्निवेश, अध्यक्ष–बंधुआ मुक्ति मोर्चा, डॉ0 मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, डिप्टी चेयरमेन–योजना आयोग, भारत सरकार, प्रो0 जयति घोष–सेन्टर फोर इकोनोमिक स्टडीज़ एण्ड प्लानिंग, सुप्रीम कोर्ट के विख्यात एडवोकेट–श्री प्रशान्त भूषण, श्री सीताराम येचूरी संसद सदस्य, डॉ0 बी0 डी0 शमा, पूर्व आयुक्त–एस0टी0एस0सी0 आयोग व अध्यक्ष–भारत जन आन्दोलन, प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री, भारतीय प्रबन्ध संस्थान बेंगलूर, श्री अशोक खण्डेलवाल, पूर्व प्राध्यापक, वी0 वी0 गिरि नेशनल लेबर इन्सटीट्यूट, श्री एच0 आर0 बांगिया,

नई दिल्ली सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया तथा ''राष्ट्रीय न्यनतम् मजदूरी नीति'' विषय पर अपने–अपने अनुभवों एवं विवेकपूर्ण विचारों से समारोह के प्रतिभागियों एवं विशेष रूप से असंगठित मजदूरों को अवगत कराया कि वास्तव में न्यूनतम् मजदूरी के निर्धारण एवं न्यूनतम् मजदूरी के अधिनियिम को समानतापूर्वक लागू करने की अत्यन्त आवयश्कता है। इसी क्रम में वक्ताओं ने सरकार द्वारा **MNREGA** के अन्तर्गत मजदूरों के साथ किये जा रहे दोहरे तथा भेदभावपूर्ण व्यवहार को शोषण, अत्याचार एवं असंवैधानिक बताया। इस अवसर पर निम्नलिखित प्रबुद्ध व्यक्तित्वों एवं उच्च कोटी के विद्वानों तथा विचारकों ने ''राष्ट्रीय न्यनतम् मजदूरी नीति'' पर अपने विचार व्यक्त किये–

1.1 स्वामी अग्निवेश (अध्यक्ष–बंधुआ मुक्ति मोर्चा): बंधुआ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष–स्वामी

अग्निवेश द्वारा उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए उनका परिचय दिया गया। तत्पश्चात् बंधुआ एवं बाल मजदूरों की मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा 1981 से अब तक किये गए संघर्ष का विवरण पस्तुत किया । इसी क्रम में ''राष्ट्रीय न्यूनतम् मजदूरी नीति'' कार्यशाला के महत्त्व व आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए अपने वक्तव्य में स्वामी जी ने कहा कि यदि देश में संविधान द्वारा निर्मित कानूनों का सही रूप से क्रियान्वयन हो तो देश में कोई गरीब नहीं होगा, न नक्सलवाद का ताण्डव होगा और न ही माओवाद पनपेगा। हम सभी मिलकर न्यूनतम् मजदूरी का मुद्दा पूरे देश में उठाएगें और इस अधिकार को समाज के प्रत्येक अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचायेंगें। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में हम सभी बुद्धिजीवी अपने–अपने ज्ञान, अनुभव एवं तर्क शक्ति का प्रयोग करते हुए दो दिन तक ''राष्ट्रीय न्यनतम् मजदूरी नीति'' विषय पर अलग–अलग सत्रों में सुनियोजित रूप में गहन चर्चा करके कार्यशाला के उद्देश्य को पूरा करेंगे एवं कार्यशाला के सभी प्रतिभागियों को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को प्रेषित करेंगें एवं देश के असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत् मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई के लिए भावी कार्यक्रम बनाऐंगें। अहिंसा के बल पर हमें मजदूरों की आवाज को सरकार तक पहुंचाना हैं एवं मजदूरों को उनका सही अधिकार दिलाना ह तभी ''कमाने वाला खायेगा–लूटने वाला जायेगा और नया जमाना आयेगा'' के नारे को साकार किया जा सकता है।

1.2 **श्री ए0 पी0 शाह (पूर्व मुख्य न्यायाधीश) :** दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री ए0 पी0 शाह ने अपने वक्तव्य में बताया को बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान को पूरे भारतवर्ष में माना जाता है। स्वामी अग्निवेश द्वारा बंधुआ मुक्ति मोर्चा की ओर से याचिका, श्रीमती नौरती बाई के केस एवं पी0यू0डी0आर0 द्वारा प्रस्तुत केस से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यदि किसी को न्यूनतम् मजदूरी से कम मजदूरी मिलती है तो वह बेगार व बंधुआ मजदूरी है। न्यूनतम् मजदूरी प्रत्येक व्यक्ति का एक जन्म सिद्ध अधिकार है और न्यूनतम् मजदूरी का अधिकार सबको मिलना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद–14, अनुच्छेद–39 और अनुच्छेद–41 का हवाला देते हुए उन्होंने उजागर किया कि सरकार द्वारा उपरोक्त वर्णित तीनों ही अनुच्छेदों का उल्लंघन किया जा रहा है। आज न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम के क्रियान्वयन की महती व नितान्त आवश्यकता है।

1.3 **श्री मोन्टेक सिंह अहलूवालिया (उपाध्यक्ष–योजना आयोग) :** योजना आयोग, भारत सरकार के उपाध्यक्ष–श्री मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को न्यूनतम् मजदूरी का अधिकार नहीं मिल रहा है तो वह अपनी शिकायत संविधान की कानूनी प्रक्रिया के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत करे। सरकार द्वारा न्यायालय के निर्णय को निश्चित रूप से माना जाता है, इसमें कोई संदेह नही है। **MNREGA** की योजना मजदूरों के लिए बहुत ही उत्तम स्तर की योजना है, इससे गांवों में मजदूरी बढ़ी है और भारत के प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने भी स्वीकार किया है कि मनरेगा योजना के प्रारम्भ होने के बाद मजदूरों की स्ट्रेन्थ भी बढ़ी है। श्री अहलूवालिया ने कहा कि न्यूनतम् मजदूरी के सम्बन्ध में मैं अपना कोई निर्णय नहीं दे सकता हूं। न्यायालय द्वारा दिया गया अंतिम फैसला ही सरकार द्वारा स्वीकृत होगा इसलिए उन्होंने **MNREGA** में न्यूनतम् मजदूरी दी जाएगी या नहीं इस फैसले को अदालत पर छोड़ने की बात कही।

1.4 **श्रीमती अरूणा रॉय (सदस्य–राष्ट्रीय सलाहकार समिति) :** सूचना के अधिकार को

जनक तथा राष्ट्रीय सलाहकार समिति (NAC) की सदस्य–श्रीमती अरूणा रॉय ने कहा कि न्यूनतम् मजदूरी का अधिकार मिलना और उसको सुरक्षित रखना दोनों ही महत्त्वपूर्ण हैं। सन् 1929 में लाहौर में न्यूनतम् मजदूरी को प्रथम घोषणा पं0 जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी उन्होंने कहा था कि आजाद हिन्दुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी न्यूनतम् मजदूरी मिलेगी, किन्तु दुर्भाग्य है इस आजाद देश के मजदूरों का, जो आज भी असके लिऐ जूझ रहे है। एक ही प्रकार के कार्य की अलग–अलग जगह भिन्न–भिन्न मजदूरी दो जा रही है, इससे नागरिकों के समानता के अधिकार की खुले आम धज्जियां उड़ रही हैं। हमारे लोकतन्त्रात्मक गणराज्य में हमारी आवाज अर्थात् हमारे अधिकारों एवं कानून का कहां जगह दी जा रही है, इसका जबाब सरकार को देना चाहिए। श्रीमती अरूणा रॉय ने बताया कि देश के 11 राज्यों में आज भी मनरेगा के अन्तगत दी जाने वाली मजदूरी संविधान द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम् मजदूरी से कम है। मजदूरी में यह अन्तर करके असमानता को पैदा किया जा रहा है जिससे गरीब को और अधिक गरीबो व अमीर को और अधिक अमीरो का उपहार मिल रहा है, जो समाज क लिए घातक स्थिति पैदा करेगा।

1.5 **श्री हर्ष मन्दर (सदस्य–राष्ट्रीय सलाहकार समिति एवं पूर्व उपायुक्त, मसूरी–उ0प्र0) :**

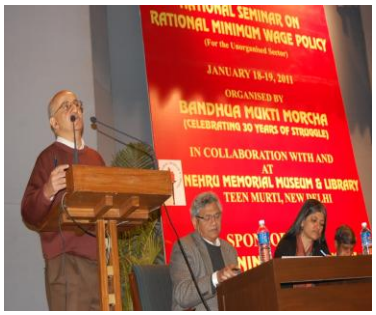

राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य एवं पूर्व उपायुक्त, मसूरी (उ0प्र0) के श्री हर्ष मन्दर ने कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में बोलते हुये कहा कि सरकार द्वारा गरीब मजदूरों के हित में कई योजनाएं व कानून बनाये गए हैं। किन्तु खेद इस बात का है कि सरकार के ही द्वारा निर्मित कानूनों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार द्वारा ईमानदारी एवं सक्रियतापूर्वक नहीं किया जाता है। इस हास्यास्पद स्थिति में देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे आकर सरकार से न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम का क्रियान्वयन करवाना होगा। इसी क्रम में उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा किसानों के आर्थिक संरक्षण को बात भी मजदूरों के आर्थिक शोषण की बुनियाद पर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे दोनों वर्गों को नुकसान भोगना पड़ेगा। सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी के मुद्दे पर अस्पष्ट व संकोचपूर्ण वक्तव्य

देकर जो स्थिति पैदा की जा रही है उस पर वास्तव में गहन चिन्तन करने और अतिशीघ्र क्रियाशील होने की आवश्यकता है। MNREGA के मजदूरों को न्यूनतम् मजदूरी देने से खेतीहर मजदूरों को ज्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी, सरकार को इस मिथ्या धारणा को भी त्याग देने की आवयश्कता है।

1.6 **प्रो0 जयति घोष (सेन्टर फोर इकोनोमिक स्टडीज एण्ड प्लानिंग) :** प्रो0 जयति घोष ने बताया कि सरकार की मनरेगा योजना के द्वारा मजदूरों को बहुत ज्यादा लाभ मिला है।

सबसे ज्यादा महिला मजदूर लाभान्वित हुई हैं क्यों कि मजदूरी (वेतन) के संन्दर्भ में कोई लिगं–भेद नही किया जाता है। पुरूषों एवं महिलाओं को समान रूप से मजदूरी प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा नरेगा के अन्तर्गत न्यूनतम् मजदूरी नहीं देने के तीन आर्थिक कारणों (1. किसानों को खेती करने के लिए पहले की अपेक्षा अधिक निवेश करना पड़ रहा है इसका कारण मजदूरां की न्यूनतम मजदूरी नही बल्कि इनपट् है अर्थात् बीज, उर्वरक एवं पैट्रोल का दाम बढ़ा है। 2. जी0डी0पी0 का बढ़ना। 3. सरकार के विकास की सोच कार्पोरेट्स को विकसित करने से संबंधित है, जबकि सरकार द्वारा आम आदमी के वेतन को बढ़ाकर विकास का आंकलन करना चाहिए) पर चर्चा करते हुए श्रम मंत्री से निवेदन किया कि MNREGA में भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने हेतू श्रम मंत्रालय की ओर से कदम उठाए जावें। परन्तु श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया द्वारा प्रस्तुत विचार का विरोध करते हुए प्रो0 जयति घोष ने न्यूनतम् मजदूरी की लड़ाई को अदालत के जरिए लड़ी जाने में असहमति जताई।

1.7 **श्री प्रशान्त भूषण (वरिष्ठ अधिवक्ता–सुप्रीम कोर्ट) :** सुप्रीम कोर्ट के विख्यात वरिष्ठ

अधिवक्ता–श्री प्रशान्त भूषण ने कहा कि न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन करना असंवैधानिक कर्म है। संविधान के कानून के अनुसार एक ओर सरकार कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम् मजदूरी मिले और दूसरी ओर MNREGA के अन्तर्गत सरकार का मानना है कि मजदूरों को उनकी मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी से कम भी दी जा सकती है। कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में श्री मोन्टेक सिंह

अहलूवालिया (उपाध्यक्ष–योजना आयोग, भारत सरकार) द्वारा दिए गए वक्तव्य पर कटाक्ष करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशान्त भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तो कई बार आदेश पारित कर चुका है कि प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी मिले, परन्तु सरकार न्यूनतम मजदूरी पर अपनी दोहरी नीति को छिपाने हेतू न्यूनतम् मजदूरी व मनरेगा को परस्पर असम्बन्धित बता रही है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि योजनाओं के आधार पर आम मजदूर को बांटा नहीं जा सकता है तथा कार्पोरेट्स फार्मिंग को बात करके प्रोफिट बढ़ाने को बात कितनी न्यायोचित है, इसकी भी समीक्षा की जा सकती है। श्री प्रशान्त भूषण ने भी प्रो0 जयति घोष के विचारों से सहमति प्रकट की।

1.8 **कामरेड सीताराम येचूरी (संसद सदस्य) :** संसद सदस्य कामरेड सीताराम येचूरी ने

कहा कि **MNREGA** एक बड़ी लम्बी राजनैतिक संघर्ष के बाद लागू हुआ था। इसमें वामदलों एवं नागरिक संगठनों ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। मनरेगा को प्रारम्भ करने से पहले से ही सरकार को यह ज्ञात था कि करोड़ों का खर्च होगा। किन्तु जब **MNREGA** लागू हुआ तो इसमें कुछ कमियां जानबूझ कर रखी गई। इसी सन्दर्भ में उन्होंने बताया कि सरकार का यह मानना है कि यदि नरेगा में न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम को लागू कर दिया जाए तो राज्य सरकार का बजट बढ़ने से केन्द्र सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने जो **NAC** को पत्र लिखा उसमें साफ–साफ लिखा है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का मनरेगा की मजदूरी के साथ कोई संबंध नही है और उस बिल के संसद में आने से दो सप्ताह पूर्व ही बड़ी चतुराई से उसमें जोड़ दिया गया कि दोनों तथ्य अलग–अलग हैं इसलिए मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी को लागू करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। कामरेड सीताराम येचूरी ने आन्ध्रप्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा **MNREGA** पर दिये गए आदेश पर भी संक्षिप्त टिप्पणी की।

1.9 **डॉ0 बी0 डी0 शर्मा–पूर्व आयुक्त–एस0टी0एस0सी0 आयोग एवं अध्यक्ष, भारत जन आन्दोलन :** एस0टी0एस0सी0 आयोग के पूर्व आयुक्त व भारत जन आन्दोलन के अध्यक्ष–डॉ0 बी0डी0 शर्मा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है कि न्यूनतम मजदूरी वही है, जिससे परिवार का गुजारा हो सके, किन्तु उसी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

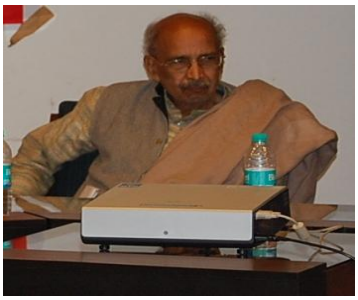

1948 में परिवार का नामो निशान ही गायब हो गया है। डॉ0 बी0डी0 शर्मा ने इसे साम्राज्यवाद व पुंजीवाद को सोची समझी साजिश बताया जो मजदूरों और गरीबों का रक्त चूस रही है और हमें इस साजिश को समझने की अति आवश्यकता है। अपने वक्तव्य के अंत में डॉ0 शर्मा ने सरकार द्वारा मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू नहीं करने की प्रवृति को असंवैधानिक, अप्रायोगिक तथा अमौलिक बताया।

1.10 **ो हरीश रावत (श्रम राज्य मंत्री–भारत सरकार) :** भारत सरकार के श्रम राज्य मंत्री–श्री हरोश रावत ने अपने उद्बोधन में मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी को न्यूनतम

मजदूरी अधिनियम के साथ विरोधाभास बताया तथा सरकार द्वारा संचालित मनरेगा योजना के अन्तर्गत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना भी पूर्ण रूप से असंवैधानिक घोषित किया। इसी क्रम में श्रम राज्य मंत्री ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने की बहस लोकतन्त्र को मजबूत करती है। इस प्रकार श्री हरोश रावत ने स्पष्ट रूप से कहा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के साथ जितने भी श्रम कानून हैं सभी नेशनल एडवायज़री कमेटी (NAC) के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं और नेशनल एडवायजरी कमेटी इन सभी कानूनों के संशोधनों पर अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगीं। इस प्रकार श्रम राज्य मंत्री ने नेशनल सोशल सिक्यूरिटी फण्ड और डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट– 2008 पर चर्चा करते हुए बताया कि मजदूरी बढ़ाने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इस मजदूरी को जोड़ दिया गया है।

उद्घाटन समारोह के अन्त में स्वामी अग्निवेश ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समारोह के प्रतिभागियों से न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम को समान रूप से क्रियान्वित करने, न्यूनतम् मजदूरी बढ़ाने और मजदूरों के अधिकार'' पर नारे लगवाये और सभी आगन्तुक प्रतिभागियों को भोजन के लिए आमन्त्रित किया। इस प्रकार उद्घाटन समारोह बड़ा ही प्रभावशााली रहा तथा देश के कई प्रतिष्ठित विभूतियों ने अपनी उपस्थिति से इसकी गरिमा बढ़ाई।